"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 68] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 फरवरी 2019 — फाल्गुन 9, शक 1940

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 फरवरी 2019 (फाल्गुन 9, 1940)

क्रमांक-3206/वि. स./विधान/2019 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 8 सन् 2019) जो गुरुवार, दिनांक 28 फरवरी, 2019 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 8 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019

छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्र. 15 सन् 1984) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्र. 15 सन् 1984) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 के खण्ड (घ-6) का लोप किया जाये.

धारा 3 का संशोधन.

3. (1) मूल अधिनियम में, धारा 3 में,-

(क) उप-धारा (1) तथा (2) में, शब्द और अंक " 19 नवम्बर, 2002 " के स्थान पर, शब्द और अंक "19 नवम्बर, 2018" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाये;

(ख) उप-धारा (2) में, परंतुक में, शब्द "राजभोगी नगरों" के स्थान पर, शब्द "रायपुर" प्रतिस्थापित किया जाये;

(ग) उप-धारा (3) में, पूर्ण विराम चिन्ह "." के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(घ) उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि दिनांक 19 नवंबर, 2002 तक अधिभोगित भूमि पर पट्टाधृति अधिकार, जो किसी भी समय प्रदत्त किये गये हों, का अंतरण उप-पट्टे अधिकार, विक्रय, दान एवं बंधक के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से किया जा सकेगा तथा इसका भू-अभिलेख में हस्तांतरण एवं नामान्तरण हो सकेगा."

नवीन धारायें 3-ख, 3-ग तथा 3-घ का अंत:स्थापन.

4. मूल अधिनियम में, धारा 3-क के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"**3-ख. नियमितिकरण.-** धारा 3 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि प्राधिकृत अधिकारी यह पाता है कि कब्जाधारी, जिसे अधिनियम के अधीन पट्टा प्रदत्त किया गया है, के वास्तविक कब्जे की भूमि, उसके पक्ष में मूल रूप से की गई व्यवस्थापन (सेटलमेंट) से अधिक है, तो ऐसी आधिक्य भूमि भी व्यवस्थापित की जा सकेगी तथा ऐसे परिवर्तित भू-उपयोग का निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उसके पक्ष में नियमितिकरण किया जा सकेगा :-

(क) इस धारा के अधीन शिथिलीकरण के लिये केवल ऐसे प्रकरण ग्रहित किये जायेंगे, जिसमें मूल पट्टाधृति, 19 नवम्बर, 2018 को या इसके पूर्व प्रदान किया गया हो;

(ख) कब्जे के अधीन आधिक्य भूमि, व्यवस्थापित मूल भूमि के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये;

(ग) यदि कब्जे के अधीन आधिक्य भूमि, मूल भूमि के पचास प्रतिशत से अधिक है, तो कब्जाधारी, सर्वप्रथम पचास प्रतिशत की आधिक्य भूमि पर किये गये कब्जे को रिक्त करेगा;

(घ) ऐसी आधिक्य भूमि, मूल भूमि से जुड़ी हुई होनी चाहिए;

(ङ) भूमि उपयोग से प्रचलित मास्टर प्लान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए;

(च) नियमितिकरण की जाने वाली आधिक्य भूमि के पट्टे के लिये प्रभारित दरें ऐसी होंगी, जैसा कि नियमों द्वारा विहित किया जाये.

(छ) इस धारा के अधीन नियमितिकरण की जाने वाली आधिक्य भूमि के संबंध में, धारा 3 की उप-धारा (2) के परंतुक में विनिर्दिष्ट सीमाओं में पचास प्रतिशत वृद्धि की जायेगी, अर्थात् नगर पंचायत वाली शहरों के लिए 1000 वर्गफुट के स्थान पर 1500 वर्गफुट, नगरपालिका वाली शहरों के लिए 800 वर्गफुट के स्थान पर 1200 वर्गफुट, रायपुर के अलावा अन्य नगर पालिक निगम वाली शहरों के लिए 700 वर्गफुट के स्थान 1050 वर्गफुट, तथा रायपुर के लिए 600 वर्गफुट के स्थान पर 900 वर्गफुट लागू होगी.

3-ग. पट्टे का नवीनीकरण.- इस अधिनियम के अधीन पट्टाधृति अधिकार, धारा 6 के अधीन बनाये गये नियमों के अंतर्गत ऐसी अवधि, जैसा कि शासन द्वारा विहित किया जाये, के लिए प्रदाय किये जायेंगे तथा ऐसे पट्टाधृति अधिकार की अवधि की समाप्ति पर, इसका नवीनीकरण ऐसी और अवधि के लिए तथा ऐसी शर्तों पर, जैसा कि धारा 6 के अधीन बनाये गये नियमों में विहित किया जाये, किया जा सकेगा.

3-घ. विक्रय पर निर्बंधन.- इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी विपरीत बात के होते हुये भी, कोई भी व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन भूमि पर पट्टाधृति अधिकार प्रदान किया गया हो, को ऐसी भूमि का आंशिक या पूर्ण रूप से अंतरण का अधिकार तब तक नहीं होगा, जब तक कि पट्टाधृति अधिकार प्रदान करने की तारीख से दस वर्ष पूर्ण नहीं हो गये हो. अंतरण के पंजीयन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाये :

परंतु यह कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन पट्टे पर प्रदत्त भूमि का विक्रय करता हो, वह और/या उसका परिवार, स्वयंमेव किसी भी अन्य भूमि पर पट्टाधृति अधिकार प्राप्त करने की पात्रता तदुपरांत खो देगा.

टीप - "परिवार" से अभिप्रेत है पति, पत्नी, आश्रित बच्चे एवं माता-पिता."

5. मूल अधिनियम में, धारा 4 में, उप-धारा (2) में, शब्द और अंक "19 नवम्बर, 2002" के स्थान पर, शब्द और अंक "19 नवम्बर, 2018" प्रतिस्थापित किया जाये. धारा 4 का संशोधन.

6. मूल अधिनियम में, धारा 6 में, उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :- धारा 6 का संशोधन.

"(1) राज्य सरकार, प्रीमियम तथा भू-भाटक से संबंधित विषयों को सम्मिलित करते हुए, इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी."

उद्देश्य और कारणों का कथन

सबके लिए आवास के उद्देश्य की पूर्ति के लिये, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि शहरी गरीबों को यथासंभव उनके वर्तमान निवास स्थल पर ही बसाया जाये. छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्र. 15 सन् 1984) में शहर के भूमिहीन व्यक्तियों को उनके द्वारा किये गये कब्जे की शासकीय भूमि पर आवासीय प्रयोजन हेतु पट्टाधृति अधिकार प्रदान करते हुए व्यवस्थापित करने का प्रावधान है. किन्तु यह संज्ञान में आया है कि कतिपय व्यक्तियों के कब्जे की भूमि, उन्हें पट्टाधृति अधिकार पर प्रदत्त भूमि से कुछ अधिक है. इसी प्रकार कुछ प्रकरणों में, मूल पट्टाधारी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कब्जा हस्तांतरित कर दिया गया है. कहीं-कहीं, पर भूमि का उपयोग आवास के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाना पाया गया है. इन सभी अनियमितताओं को नियमित करना आवश्यक है तथा हस्तांतरण से उद्भूत नामांतरण को भू-अभिलेख में दर्ज करने की अनुमति देने हेतु प्रावधान करना आवश्यक है. अतएव, अनियमितताओं के नियमितिकरण करने और ऐसे नियमितिकरण की निर्बंधन एवं शर्तों को स्पष्ट करने के लिये, छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्र. 15 सन् 1984) में उपयुक्त संशोधन करना आवश्यक है. प्रस्तावित विधेयक से उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति आशयित है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 25 फरवरी, 2019

डॉ. शिवकुमार डहरिया
नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्र. 15 सन् 1984) संशोधन विधेयक, 2019 का सुसंगत उद्धरण

धारा 2 का खण्ड (घ-6) "राजभोगी नगर" से अभिप्रेत है रायपुर नगर.

धारा 3 भूमि का व्यवस्थापन-(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भूमि के संबंध में, जो 19 नवंबर, 2002 को किसी भूमिहीन व्यक्ति द्वारा किसी नगरीय क्षेत्र में अधिभोग में रखी जाती हो, उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, यह समझा जाएगा कि उक्त तारीख को उसका व्यवस्थापन, उसके पक्ष में पट्टाधृति अधिकारों में हो गया.

(2) प्राधिकृत अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, विरचित नियमों या जारी निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए, या तो भूमिहीन व्यक्ति के वास्तविक अधिभोग में की भूमि का व्यवस्थापन या उसको किसी अन्य भूमि का आबंटन जो पचास वर्ग मीटर से अधिक न हो सके उसके पक्ष में पट्टाधृति अधिकारों में कर सकेगा. परन्तु वह 19 नवंबर, 2002 के पूर्व से नगरीय क्षेत्र में अपने निवास को साबित करने के लिए निम्नलिखित सबूत पेश करेगा -

(क) सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे जारी किया गया राशन कार्ड : या

(ख) मोहल्ला समिति से लिखित में परिसाक्ष्य यह प्रामाणित करते हुए कि वह 31 मई, 1998 के पूर्व से उस क्षेत्र में निवास करता है :

परन्तु जहां भूमिहीन व्यक्ति के अधिभोग में पचास वर्ग मीटर से अधिक भूमि है, वहां भूमि का व्यवस्थापन नगर पंचायत क्षेत्र में 100 वर्गमीटर तक नगरपालिका क्षेत्र में 80 वर्गमीटर तक, राजभोगी नगरों से भिन्न नगरों की सीमाओं के भीतर 70 वर्गमीटर तक तथा राजभोगी नगरों की सीमाओं के भीतर 60 वर्ग मीटर तक किया जा सकेगा.

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रोद्भूत पट्टाधृति अधिकार, उत्तराधिकार के सिवाए, किसी उप पट्टे द्वारा या किसी भी रीति में अन्तरणीय नहीं होंगे.

धारा 3-क निवास गृहों का हटाया जाना (1) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त गठित समिति विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी गन्दी बस्ती को हटाने तथा उसका अन्यत्र व्यवस्थापन करने का विनिश्चिय करेगी.

(2) किसी ऐसे भूमिहीन व्यक्ति का, जिसके अधिभोग में किसी सार्वजनिक पार्क की भूमि है या जिसके अधिभोग में सड़क के किनारे की या सड़क तथा बस्ती के बीच की भूमि है, लोकहित में ऐसे स्थान से हटाया जा सकेगा तथा अन्यत्र पट्टाधृति अधिकार दिये जा सकेंगे.

(3) निवास गृहों के लिए किसी बस्ती को जहां धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भूमिहीन व्यक्तियों का व्यवस्थापन किया गया है, लोकहित में अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकेगा तथा उसके पट्टाधृति अधिकारों को रद्द किया जा सकेगा तथा ऐसे व्यक्ति का अन्यत्र व्यवस्थापन किया जा सकेगा.

मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) यदि 19 नवंबर, 2002 को प्रश्नगत भूमि के अधिभोग के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह भूमिहीन व्यक्ति जो दावा करता है कि उक्त तारीख को वह भूमि उसके अधिभोग में भी वह विवाद विनिश्चय के लिये प्राधिकृत अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा. तथा प्राधिकृत अधिकारी का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश, विवाद के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा.

मूल अधिनियम की धारा 6 नियम बनाने की शक्ति - (1) राज्य सरकार, मोहल्ला समिति के गठन, अधिकारिता, शक्तियां तथा कृत्य, प्रीमियम, भू-भाटक आदि से संबंधित विषयों को सम्मिलित करते हुए इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों या उसमें से किसी प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी.

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.